कार्यालय जिलाधिकारी, चित्रकूट।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 805 /खनिज/ई–निविदा/2025–26 दिनांक : 24 / 11 /2025

ई–निविदा आमंत्रण हेतु ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–चित्रकूट में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/मोरम के खनन क्षेत्रों को उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 तथा शासनादेश संख्या–781/86–2020–14(सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा **दिनांक 09.12.2025 से दिनांक 15.12.2025 को समय सायं 05:00 बजे (05 कार्य दिवस) तक** क्षेत्रों के लिये ई–निविदा पोर्टल etenders.up.nic.in पर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरणः–

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम/ DSR Area Code	गाटा संख्या/ खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीमायें	जियो कोआर्डिनेट्स	उपखनिज का नाम	खनन योग्य निर्धारित/ आंकलित उपखनिज की मात्रा (घ0मी0 में)	आधार मूल्य (रॉयल्टी दर रु0 150.00X निर्धारित आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	राजापुर	चॉदी खादर/ 1554970 201	4, 5, 6	101.49	उत्तर–यमुना नदी। दक्षिण– काश्तकार श्री चुन्नी लाल श्री मेवालाल आदि। पूरब–सीमा ग्रा0 तीरधुमाई गंगू। पश्चिम–सीमा ग्रा0 चिल्लीमल।	A-25°30'29.7"N 81°06'14.4"E B-25°30'35.9"N 81°05'57.8"E C- 25°31'0.5"N 81°06'4.1"E D-25°30'51.8"N 81°06'23.1"E	बालू/ मोरम	308048	46207200.00	23103600.00
2	मऊ	ताड़ी/ 1560140 203	2/1क खण्ड सं0–03	44.72	उत्तर– गाटा सं0 02 का शेष भाग आगे गाटा सं0 01 दक्षिण–गाटा सं0 02 का शेष भाग आगे कच्चा रास्ता पूरब–खण्ड सं0 02 पश्चिम–गाटा सं0 02 का शेष भाग	A- 25°20'4.47"N 81°22'54.28"E B-25°19'55.65"N 81°22'49.81"E C-25°20'10.19"N 81°22'19.68"E D-25°20'12.54"N 81°22'9.94"E E-25°20'17.87"N 81°22'12.72"E F-25°20'12.09"N 81°22'20.05"E G-25°20'10.78"N 81°22'22.43"E H- 25°20'6.51"N 81°22'38.38"E I- 25°20'6.81"N 81°22'46.23"E	बालू/ मोरम	162900	24435000.00	12217500.00
3	राजापुर	सुरवल खादर/ 1555170 202	2/1 खण्ड सं0–01	115.40	उत्तर–यमुना नदी दक्षिण–गाटा सं0 2/1 का शेष भाग पूर्व–ग्राम देवारी की सीमा। पश्चिम–गाटा सं0 2/1 का शेष भाग।	A-25°28.729'N 81°11.215'E B-25°28.825'N 81°11.518'E C-25°29.140'N 81°11.350'E D-25°29.034'N 81°11.132'E	बालू/ मोरम	420318	63047700.00	31523850.00
4	राजापुर	सुरवल खादर/ 1555170 205	2/1 खण्ड सं0–04	115.40	उत्तर–यमुना नदी दक्षिण–गाटा सं0 2/1 का शेष भाग पूर्व–ग्रा0 खोपा की सीमा पश्चिम–गाटा सं0 2/1 का शेष भाग।	A-25°27.780'N 81°11.601'E B-25°27.804'N 81°11.334'E C-25°27.052'N 81°11.260'E D-25°27.148'N 81°11.146'E	बालू/ मोरम	420318	63047700.00	31523850.00

	राजापुर	बरुवा एहतमाली 1559540 203	396 खण्ड सं0–03	49.42	उत्तर–गाटा सं0 396 का शेष भाग व गाटा सं0 02 दक्षिण–गाटा सं0 396 का शेष भाग पूर्व– गाटा सं0 396 का शेष भाग आगे गाटा सं0 02 पश्चिम–खण्ड सं0 02 व गाटा सं0 393	A-25°20'40.06"N 81°14'43.25"E B-25°20'44.46"N 81°14'43.00"E C-25°21'05.64"N 81°14'42.12"E D-25°20'48.17"N 81°14'57.37"E E-25°20'47.91"N 81°14'51.78"E F-25°20'34.85"N 81°14'54.53"E	बालू/ मोरम	180000	27000000.00	13500000.00

1.	ई–निविदा प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 09.12.2025 की सुबह 10:00 बजे से दिनांक 15.12.2025 की सायं 05:00 बजे तक।
2.	मूल अभिलेख को जमा करने का स्थान व तिथि समय	स्थान–कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), चित्रकूट। दिनांक–16.12.2025 (10:00AM से 01:00PM तक)
3.	ई–निविदा खोलने का दिनांक व स्थान	स्थान–कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), चित्रकूट। दिनांक–16.12.2025 को समय 03:00PM बजे।

1. खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिये होगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर यां इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।
3. किसी क्षेत्र के ई–निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी, जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है अग्रिम के रुप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग–अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तद्नुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग–अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
4. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुंच मार्ग आदि के लिये मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई–निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगीः–
   (क) ई–निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेंसी से टाइप–II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
   (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।
   (ग) बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई–निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
   (घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. निविदादाता द्वारा ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आईडी लॉगिन कर तकनीकि बिड के समय संलग्न प्रारुप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

   प्रारुप–2 की सूचनायेंः–

   क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी एवं वर्तमान) ई–मेल एवं मो0नं0।

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है।

ङ. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0 2,000.00 का चालान संख्या व दिनांक।

च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।

छ. पैनकार्ड का क्रमांक।

ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।

झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्रः–

क. ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रु0 2000.00 का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ग. पैनकार्ड।

घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।

ङ. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहां वह स्थायी रुप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

7. विज्ञप्ति के अनुसार पॉच कार्यदिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्यदिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

8. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है, तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारुप–2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्यदिवस) तक सम्बन्धित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा, उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिये किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय ऑनलाइन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।

11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

12. प्राप्त ई–निविदा के अनुसार 06 माह के लिये देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रुप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।

13. जिन क्षेत्रों की पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तांतरण कराना होगा। जिन क्षेत्रों के लिये

पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नहीं है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा पत्र धारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।

14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।
15. अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियायें सम्पादित करेगा।
17. खनन हेतु खनन क्षेत्र तक पहुंच मार्ग बनाने की जिम्मेदारी स्वयं अनुज्ञा पत्र धारक की होगी।
18. खनन अनुज्ञा पत्र धारक को निजी काश्तकार की भूमि होने की दशा में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–68 के अधीन प्रतिकर देने की जिम्मेदारी होगी।
19. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तों का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
20. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
21. अन्य नियम एवं शर्तेंः– जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाये।

(पुलकित गर्ग)
जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

पत्रांक व तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. उपजिलाधिकारी, कर्वी/मऊ/मानिकपुर/राजापुर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, चित्रकूट।
8. जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट।

जिलाधिकारी,
चित्रकूट।

प्रारूप–2

खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु ई–निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण–किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराईटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनॉक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3	निविदाकार का नाम	
4	निविदाकार के पिता का नाम	
5	स्थायी पता	
6	वर्तमान पता	
7	मोबाईल नम्बर	
8	ई–मेल आईडी	
9	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम ख. जनपद का नाम ग. तहसील का नाम घ. खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम ड. गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या च. क्षेत्रफल(एकड़ में)	
10	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
12	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न. होने के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/ शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
13	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो। (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
14	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
15	क्षेत्र में निर्धारित/आंकलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची एक में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर के गुणाक का 50 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) का ड्राफ्ट धनराशि व ड्राफ्ट का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	ड्राफ्ट धनराशि–––– बैंक का नाम व शाखा –– ड्राफ्ट का नम्बर––

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक–

निविदाकार के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by UMESH CHANDRA NIGAM
Date: 2025.11.28 15:18:01 IST
Location: Uttar Pradesh-UP